

डाक की सुरक्षा हेतु वाहन में केबिन की व्यवस्था हो। वाहन तीन वर्ष से अधिक पुरान न हो। नावदाय अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफों में प्रेषित की जायें। एक लिफाफे में तकनीकी बोली व धरोहर राशि (ए.सी.जी.) की रसीद तथा दूसरे लिफाफे में मूल्य बोली भेजनी होगी। सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी या सभी निविदायें बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

(ललित जोशी) अधीक्षक डाकघर
पिथौरागढ़ मण्डल पिथौरागढ़- 262501



मुख्यालय
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
web : www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै0 महेश सिंह भौरियाल, पुत्र श्री बलवंत सिंह, जिला बागेश्वर द्वारा सिराला सोप स्टोन माइन (क्षेत्रफल-5.80 है0 में 22464.00 टन प्रतिवर्ष), ग्राम सिराला, रैखोला और वड्यूड़ा, तहसील डुगनकुरी, जिला बागेश्वर हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु “पैनल” की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर, कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर, जिला उद्योग केंद्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मै0 महेश सिंह भौरियाल, पुत्र श्री बलवंत सिंह, जिला बागेश्वर द्वारा सिराला सोप स्टोन माइन (क्षेत्रफल-5.80 है0 में 22464.00 टन प्रतिवर्ष), ग्राम सिराला, रैखोला और वड्यूड़ा, तहसील डुगनकुरी, जिला बागेश्वर हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 23.10.2021 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपयों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.के.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड